आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 16)

[21 सितम्बर, 2020]

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे सम्बद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना।

2. यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन निगमित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था होगी।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पूर्ववर्ती संस्था'' से आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर अभिप्रेत हैं;

(ख) ''स्वास्थ्यवृत्त विभाग'' से संस्थान के विभाग के रूप में स्थापित किया जाने वाला महर्षि पंतजलि योग प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जामनगर अभिप्रेत है जो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का घटक संस्थान है;

(ग) ''निदेशक'' से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) ''निधि'' से धारा 15 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(ङ) ''शासी निकाय'' से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है;

(च) ''गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय'' से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित तथा निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; 1965 का गुजरात अधिनियम 40

(छ) ''भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर'' से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद में भेषज पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापित संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संस्थान के चिकित्सालय में प्रयोग के लिए आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने के लिए स्थापित भेषजी इकाई भी है;

(ज) ''संस्थान'' से समूहबद्ध किए गए पूर्ववर्ती संस्थानों द्वारा स्थापित और धारा 4 के अधीन निगमित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अभिप्रेत है;

(झ) ''आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर'' से भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित, किन्तु भारत सरकार और विश्वविद्यालय के बीच हुए पट्टा करार के अधीन गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य'' से संस्थान का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) ''विनियम'' से संस्थान द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है;

(ड) ''श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर'' से आयुर्वेद में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का घटक संस्थान अभिप्रेत है।

अध्याय 2

संस्थान

पूर्ववर्ती संस्थानों की आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापना और निगमन।

4. (1) पूर्ववर्ती संस्थान अर्थात्, आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर को इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में समूहबद्ध और स्थापित किया जाता है और ऐसे निगमन पर इन्हें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा।

(2) संस्थान का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

पूर्ववर्ती संस्थानों के आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में निगमन का प्रभाव।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही,—

(क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में पूर्ववर्ती संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संस्थान के प्रति निर्देश है;

(ख) पूर्ववर्ती संस्थानों की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति या वस्तुएं संस्थान में निहित होंगी;

(ग) पूर्ववर्ती संस्थानों के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और संस्थान के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले पूर्ववर्ती संस्थान में नियोजित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या सेवा, उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित उसी प्रकार धारण करेगा, जैसा वह तब धारण करता, यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता और ऐसा पद तब तक धारण करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उस निमित्त, उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा उसके स्थायी कर्मचारियों की दशा में, कम से कम तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में, कम से कम एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर के संदाय पर उनका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा;

(ङ) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के निदेशक को इस अधिनियम के अधीन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह ऐसे प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा;

(च) श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर के निदेशकों को इस अधिनियम के अधीन क्रमश: उपनिदेशक (स्नातक पूर्व) और उपनिदेशक (भेषज) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वे ऐसे प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे;

(छ) ऐसे प्रारंभ से पूर्व पूर्ववर्ती संस्थान में कोई विद्या संबंधी या अनुसंधान पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्थान के पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर संस्थान में प्रव्रजित और रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा;

(ज) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती संस्थानों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध चालू या संस्थित रखी जाएंगी।

संस्थान की संरचना।

6. (1) संस्थान निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) आयुष मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, पदेन;

(ख) सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन;

(ग) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, गुजरात सरकार, पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद का तकनीकी प्रधान जो सलाहकार (आयुर्वेद) की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन;

(च) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार अथवा उसका नामनिर्देशिती, (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(छ) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर का कुलपति,पदेन;

(ज) केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक, पदेन;

(झ) सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले तीन आयुर्वेद के विशेषज्ञ;

(ट) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) यह घोषित किया जाता है कि संस्थान के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा।

सदस्यों की पदावधि और उनके बीच होने वाली रिक्तियां।

7. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्य जिसके अंतर्गत संस्थान के नामनिर्देशित और निर्वाचित सदस्य भी हैं, की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी।

(2) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा का उप सभापति बन जाता है या उस सदन का, जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगी।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि के लिए होगी, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है।

(5) पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशित या निर्वाचित किए जाने तक, पद पर बना रहेगा।

(6) सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती।

(7) सदस्यों के मध्य रिक्तियां भरने की रीति वह होगी जो विहित की जाए।

संस्थान का सभापति।

8. (1) संस्थान का एक सभापति होगा, जो संस्थान के निदेशक से भिन्न उसके सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित किए जाएं या जो विहित किए जाएं।

(3) सभापति और अन्य सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

संस्थान की बैठकें।

9. संस्थान अपनी पहली बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और पहली बैठक में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं; और तत्पश्चात्, संस्थान ऐसे समयों और स्थानों पर अपनी बैठक करेगा और अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां।

10. (1) संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन संस्थान द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) शासी निकाय, संस्थान की कार्यकारिणी समिति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो संस्थान, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित करे।

(3) संस्थान का सभापति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और उसके अध्यक्ष के रूप में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके मध्य रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे मामले में जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जांच करने अथवा उसके संबंध में रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे।

(6) शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्य तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संस्थान के कर्मचारिवृन्द।

11. (1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो संस्थान के निदेशक के रूप में अभिहित किया जाएगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परंतु आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) निदेशक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जो उसे संस्थान या संस्थान के सभापति द्वारा या शासी निकास या शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान उप-निदेशक (स्नातकपूर्व), उप निदेशक (स्नातकोत्तर) और उप निदेशक (भेषज) तथा उतनी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और श्रेणियां वह होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम उप-निदेशक (स्नातकपूर्व) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह और कि भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम उप-निदेशक (भेषज) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(5) संस्थान के निदेशक, उप निदेशक (स्नातकपूर्व), उप निदेशक (स्नातकोत्तर) और उप-निदेशक (भेषज) तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के संबंध में सेवा की शर्तों से शासित होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

संस्थान के उद्देश्य।

12. संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) आयुर्वेद और भेषज संबंधी आयुर्विज्ञान शिक्षण में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण के स्वरूपों को इस प्रकार विकसित करना जिसमें कि भारत में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य सहबद्ध आयुर्वेद संस्थाओं के लिए ऐसे आयुर्विज्ञान शिक्षण का एक ऊंचा स्तर निदर्शित हो;

(ख) भेषज सहित आयुर्वेद की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम कोटि की शिक्षा सुविधाएं एक स्थान पर एकत्र करना;

(ग) आयुर्वेद में विशेषज्ञों और आयुर्विज्ञान अध्यापकों की देश के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; और

(घ) आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना।

संस्थान के कृत्य।

13. संस्थान, धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन की दृष्टि से,—

(क) भेषज सहित आयुर्वेद में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा;

(ख) भेषज सहित आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाओं को प्रदान कर सकेगा;

(ग) भेषज सहित आयुर्वेद में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम विहित कर सकेगा;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(i) स्वास्थ्यवृत्त और ऐसे अन्य विभागों सहित, जो आयुर्वेद के वैज्ञानिक अनुसमर्थन, लोक स्वास्थ्य में आयुर्वेद के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के कार्यान्वयन और आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों की सहायता से आष्टांग आयुर्वेद का और विस्तार करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, विभिन्न विभागों वाले एक या अधिक आयुर्वेद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिसमें भेषज विज्ञान सहित स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृन्द और पर्याप्त रूप से सज्जित;

(ii) एक या अधिक सुसज्जित चिकित्सालयों;

(iii) नर्स, भेषजज्ञ, पंचकर्म तकनीशियन या चिकित्सा विज्ञानी, जैसे सहायक कर्मचारिवृन्द के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त रूप से कर्मचारिवृन्द से युक्त और सुसज्जित आयुर्वेद की ऐसी अन्य सहबद्ध विद्या शाखाओं;

(iv) ग्रामीण और नगरीय स्वास्थ्य संगठनों, जो आयुर्वेद में क्षेत्र-प्रशिक्षण देने के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रों का गठन करेंगे; और

(v) भौतिक चिकित्सा विज्ञानियों, व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानियों और अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा तकनीशियन, जैसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ अन्य संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगा;

(ङ) भारत के विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकेगा;

(च) आयुर्वेद और भेषज विज्ञान में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा में परीक्षाएं संचालित करना (जिसके अंतर्गत प्रवेश देना भी है) और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां दे सकेगा जो विनियमों में अधिकथित की जाएं;

(छ) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और किसी अन्य पद को विनियमों के अनुसार संस्थित कर सकेगा और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा;

(ज) सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकेगा तथा यथास्थिति, संदाताओं, उपकारियों, वसीयतकर्ताओं या अंतरकों द्वारा दान, संदान, उपकृतियों, वसीयतों तथा जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति के अंतरणों को प्राप्त कर सकेगा;

(झ) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में ऐसी किसी रीति में संव्यवहार करेगा जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझी जाए;

(ञ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग कर सकेगा और उन्हें प्राप्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ट) अपने कर्मचारिवृन्द के लिए आवासगृहों का निर्माण कर सकेगा और ऐसे आवासगृहों को, ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं, कर्मचारिवृन्द को आबंटित कर सकेगा;

(ठ) छात्रों के आवास के लिए छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध कर सकेगा;

(ङ) संस्थान के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकेगा और उनमें अनुशासन को विनियमित कर सकेगा तथा उनके स्वास्थ्य, साधारण कल्याण और सांस्कृतिक तथा कॉरपोरेट जीवन के संवर्धन के लिए व्यवस्था कर सकेगा;

(ढ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायतावृत्ति, पुरस्कार और मेडल को संस्थित और प्रदान कर सकेगा;

(ण) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर, धन उधार ले सकेगा;

(त) ऐसे अन्य सभी कार्य कर सकेगा जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या प्रासंगिक हों।

संस्थान को संदाय।

14. केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से दे सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

संस्थान की निधि।

15. (1) संस्थान एक निधि रखेगा; जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सभी धनराशियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में संस्थान को प्राप्त सभी धनराशियां; और

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान को प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएंगी जो संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग, संस्थान के व्ययों की, जिनके अन्तर्गत धारा 13 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए किया जाएगा।

संस्थान का बजट।

16. संस्थान प्रतिवर्ष एक बजट, आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा और जिसमें संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार को उसकी उतनी प्रतियां भेजेगा जितनी विहित की जाएं।

लेखा और लेखापरीक्षा।

17. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे।

(2) संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों को पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उनकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

18. संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए, उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य-निधि।

19. (1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन और भविष्य-निधि गठित करेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पूर्ववर्ती संस्थान द्वारा गठित पेंशन और भविष्य निधि को इस धारा के अधीन पेंशन और भविष्य-निधि समझा जाएगा।

(2) जहां ऐसी कोई भविष्य-निधि स्थापित की गई है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध उस निधि को वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन।

20. संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय निदेशक द्वारा या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें निदेशक या संस्थान द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

21. संस्थान, शासी निकाय या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि संस्थान, शासी निकाय या ऐसी किसी स्थायी या तदर्थ समिति में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि रह गई थी।

संस्थान द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा, आदि प्रदान किया जाना।

22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा उपाधियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान करने की शक्ति होगी।

संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता।

23. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान, उपाधियां या डिप्लोमा, पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उन्हें संबंधित अधिनियमों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा। 1970 का 49 1956 का 3

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण।

24. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं।

मतभेदों का समाधान।

25. यदि संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में, संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उद्भूत होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

विवरणियां और जानकारी।

26. संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जिनकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

नियम बनाने की शक्ति।

27. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन संस्थान के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के सभापति और सदस्यों को संदेय भत्ते, यदि कोई हों;

(घ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बन्धन;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाला बजट संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा और उसकी प्रतियों की संख्या जो धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी;

(च) वह प्ररूप, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह तारीख, जिसके पूर्व ऐसी रिपोर्ट को धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

28. (1) संस्थान, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) धारा 9 के अधीन संस्थान की पहली बैठक को छोड़कर शेष बैठकों का बुलाया जाना तथा आयोजित किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें की जाएंगी और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय के गठन की रीति;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(घ) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन शासी निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति;

(च) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के गठन की रीति;

(छ) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन शासी निकाय और स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों;

(ज) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(झ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और श्रेणी;

(ञ) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निदेशक, उप निदेशक (स्नातकपूर्व), उपनिदेशक (स्नातकोत्तर) और उप निदेशक (भेषज) और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) धारा 13 के खंड (च) के अधीन परीक्षाएं, जो आयोजित की जा सकेंगी तथा उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां, जो प्रदान की जा सकेंगी;

(ठ) धारा 13 के खंड (छ) के अधीन आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा अन्य पद जो संस्थित किए जाएं और ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति;

(ड) धारा 13 के खंड (ञ) के अधीन संस्थान द्वारा मांगी जा सकने वाली और उसे प्राप्त होने वाली फीस तथा अन्य प्रभार;

(ढ) धारा 13 के खंड (ट) के अधीन कर्मचारिवृन्द के लिए आवासों का सन्निर्माण और ऐसे आवास का आबंटन;

(ण) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और भविष्य निधि का गठन किया जाए;

(त) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन संस्थान के स्थापित किए जाने तक कोई विनियम जो उपधारा (1) के अधीन बनाया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम में संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन या विखंडन किया जा सकेगा।

संसद् के समक्ष नियमों और विनियमों का रखा जाना।

29. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों को पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथा नियम या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

31. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले पूर्ववर्ती संस्थानों का शासी बोर्ड या कोई अन्य शासी प्रणाली उसी रूप में तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए शासी निकाय का गठन नहीं कर दिया जाता है किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए शासी निकाय के गठन पर ऐसे गठन के पहले पदधारण करने वाले बोर्ड के सदस्य, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले पूर्ववर्ती संस्थानों के सम्बन्ध में गठित समितियों को संस्थान के लिए नई समितियों के गठित किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा।

———————